मै0 हरीश चन्द्र जोशी सोप स्टोन माइन, ग्राम– पुखरौडा, तहसील–डीडीहाट, जिला– पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड़ के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 16.12.2022 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 हरीश चन्द्र जोशी सोप स्टोन माइन्स, ग्राम–पुखरौडा, जिला–पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिग प्रोडक्ट (8.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया दि0 08.11.2022 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियॉ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़, जिला पंचायत कार्यालय पिथौरागढ़, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में 16.12.2022 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–पुखरोड़ा तहसील– डीडीहाट में लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी, प्रस्तावित जन सुनवाई अध्यक्ष महोदय (अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़) की उपस्थिति में दिनांक 16.12.2022 को प्रातः11:00 बजे ग्राम–पुखरौडा, तहसील–डीडीहाट, में प्रारम्भ की गयी। लोकसुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ श्री फींचाराम चौहान तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो/कर्मचारियों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स कॉग्नीजैन्स रिसर्च इंडिया प्रा0 लिमिटेड़ के श्री ए0के0 शर्मा द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन माइनिग परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया तथा खनन परियोजना से होने वाले लाभ–हानि व समाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना में समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मुल्यांकन किया गया है। प्रतिकूल प्रभावों के सन्र्दभ में आवश्यक नियंत्रण और उपायों का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन से पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवहन क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के अलावा खनन गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुशल/अर्द्ध कुशल/गैर–कुशल कार्यबल के रूप में विभिन्न श्रेणियों में प्रत्यक्ष श्रेणियों में प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। अतिरिक्त खनिज उपलब्धता के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक विकास में सुधार होगा। इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा परियोजना के पर्यावरण सलाहकार को कहा गया कि क्षेत्रीय जनता को खनन परियोजना क्षेत्र तथा आस–पास आने वाले आवासीय भवनों एवं आवागमन हेतु गॉव के रास्तों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया जाएं तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों, वृक्षारोपण एवं आवागमन हेतु रास्तों के संरक्षण हेतु खनन

योजना में क्या प्राविधान किये गये है। खनन परियोजना में कार्यरत श्रमिकों हेतु ईधन व्यवस्था का प्राविधान किया जाना चाहियें तथा माल ढुलाई में लगे खच्चरों का आवास प्राकृतिक जल श्रोत के आस–पास नहीं होना चाहियें। तद्पश्चात अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनता को पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में संक्षेप में बताया तथा पर्यावरण सलाहकार को अवगत कराया गया कि वृक्षारोपण का कार्य माईन ऐरिया के आस–पास ही किया जायें एवं खनन परियोजना में स्वास्थ शिविर के बजट के आवंटन को बढाया जाना चाहियें तथा शिक्षा के लिए खनन योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इस पर इकाई के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया की खनन योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र से जल/वायु एवं ध्वनि के नमूनों एकत्रण किया गया था तथा नमूनों के विश्लेषण किये जाने पर कोई नकारात्मक प्रभाव दृष्टीगोचर नहीं हुये जो पर्यावरणीय मानको से उच्चतर हों, वृक्षारोपण का कार्य माईन ऐरिया के आस–पास ही किया जायेगा तथा उपस्थित जनमानस से आग्रह किया गया की अगर आपको इसके अतिरिक्त खनन परियोजना से होने वाले कोई भी नकारात्मक प्रभाव दृष्टीगोचर होते है तो आप इस लोकसुनवाई के माध्यम से नोटिस करा सकते है। जिसकी विडियो रिर्काडिंग की जा रही है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन योजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तियां एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गयी तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तियां टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थित समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री आन सिंह नेगी ग्राम– पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री नेगी द्वारा कहा गया कि गांव की भौगोलिक स्थिति ढलान वाली है तथा खनन कार्य गॉव के नीचे से ही किया जायेगा, जिससे भूस्खलन आदि होने से गॉव प्रभावित होगा। तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सोप स्टोन खनन कार्य लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। खनन कार्य पिटों के माध्य से बैन्चों के रूप में खनन योजना के अनुरूप किया जाना चाहियें तथा खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मिट्टी के अधिभार को गढ्ढों में डाल कर बंद कर देना चाहियें। तद्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन योजना के अनुरूप मैनुवली खनन कार्य किया जाना चाहियें। इसी अनुक्रम में श्री आन सिंह नेगी द्वारा पृच्छा की गयी की खनन पट्टा कितने साल तक लीज में लिया गया है ? तथा लीज को नवीनीकरण कैसे किया जाता है। इससे गॉव वालो को अवगत कराया जाना चाहियें तथा मुवावजे के प्राविधान के बारे में भी बताया जाना चाहियें तद्पश्चात अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य गॉव के 80 प्रतिशत लोगों की सहमति के आधार पर किया जा सकता है। दूरी के मानको को भी खनन योजना के अनुरूप ही बनाये रखा जाना चाहियें तथा खनन से पूर्व तय किया जाना चाहियें कि किसे कितना मुवावजा दिया जायेगा।

2. श्री जगदीश सिंह नेगी ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री नेगी द्वारा कहा गया कि खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई कहा से होगी। अनियोजित खनन कार्य किये जाने से गॉव के रास्ते तथा जल स्त्रोतों के नुकसान होने की संभावना है। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य गॉव के रास्तों एवं जल स्त्रोतों से दूर खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।

3. श्री चंचल सिंह ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री सिंह द्वारा कहा गया कि इस क्षेत्र में पूर्व में खनन कार्य होने से खेतों में दरारें पडी हुई है तथा खनन कार्य करने के पश्चात गढ्ढों को नहीं भरा गया है तथा

गॉव के पौराणिक रास्तों को नुकसान हुआ है। इसका खनन योजना में क्या प्रविधान किया गया है। तद्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप किये जाने से गॉव का विकास होगा एवं गॉव में रोजगार के साधन उपलब्ध होगें। खनन कार्य गॉव वालो की सहमति तथा नोटराईज्ड अनुबंध करने के बाद किया जाना चाहियें तथा गॉव के रास्तों के रख–रखाव के साथ खनन योजना के अनुसार किया जाना चाहियें ।

4. श्री देव सिंह बिष्ट ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री बिष्ट द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा गॉव में रहकर ही फल–सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तथा खडिया ढुलान का रास्ता जो कच्चा है, मेरे घर के पास से होकर जाता है। कच्चें रास्ते से उडने वाली धूल से सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अगर मेरे घर के पास से जाने वाले रास्ते को पट्टा धारक द्वारा पक्का कर दिया जाता है तो मुझे खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। तद्क्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया की कच्चे रास्ते की जगह सी0सी0 मार्ग का निर्माण किया जायेगा, जिस से धूल न उडे।

5. श्री ललित बिष्ट ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री बिष्ट द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा गॉव में बागवानी का कार्य किया जाता है। खनन परियोजना एवं ढुलान से उडने वाली धूल से मेरा कार्य प्रभावित नहीं होता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खनन योजना से मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहियें तथा स्थानीय लोगों के रोजगार की व्यवस्था खनन योजना में की जानी चाहियें। इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि खनन कार्य ग्राम–वासियों के सुझावों के आधार पर ही किया जाना उचित होगा।

6. श्री गोविन्द सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री सिंह द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना हेतु लीज में दी गयी जमीन गॉव वालो की है। अगर खनन परियोजना से गॉव वालो को काई आपत्ति है, तो गॉव वाले ही बता सकते है। खनन कार्य गॉव वालो की सहमति के आधार पर ही किया जाना चाहियें।

7. श्रीमती गंगा देवी, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्रीमती गंगा देवी द्वारा कहा गया की खनन कार्य से हमारे घर टूट जायेगे, तो उनकी भरपाई कोन करेंगा। खनन परियोजना से हमारे घरों को खतरा है तथा खनन योजना के पास ही हमारा आवासीय भवन है।

8. श्रीमती बसंती देवी, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्रीमती बसंती देवी द्वारा कहा गया की पूर्व में क्षेत्र में खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात गढ्ढों को नहीं भरा गया। खुले गढ्ढों में जंगली जानवर घुमते है। इसी अनुक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य पूर्ण होने पश्चात गढ्ढों को खनन योजना के अनुसार बंद कर दिया जायेगा।

9. श्री भुपाल सिंह चौहान, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री चौहान द्वारा बताया गया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा हमारी सहायता की जाती हैं तथा परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ द्वारा कहा गया कि खनन कार्य गॉव वालों की सहमति के आधार पर

मिलकर किया जायेंगा तो समस्या का समाधान भी हो जायेगा। खनन प्रस्तावक द्वारा नुकसान की भरपाई की जानी चाहियें।

10. श्री होशियार सिंह नेगी, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री नेगी द्वारा कहा गया कि अगर खनन कार्य ईमानदारी एवं पारदर्शी रूप से किया जाये तो हमें खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। अगर खनन परियोजना में कोई अपना खेत देना चाह रहा हो, तो उस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहियें।

11. श्रीमती लीला देवी ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री लीला देवी द्वारा कहा गया की खनन कार्य से हमारे मकान टूट जायेगे तो उसका क्या होगा ?

12. श्री हरीश विश्वकर्मा, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि हमें खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।

13. श्री प्रकाश जोशी, प्रतिनिधि, परियोजना प्रस्तावक, ग्राम–पुखरौड़ा, पिथौरागढ़– श्री जोशी द्वारा कहा गया की पट्टा नवीनीकरण हेतु यह खनन योजना स्वीकृत हुई है। गॉव वालो की समस्या के संबंध में इकरारनामें के आधार पर खनन कार्य किया जायेगा। खनन परियोजना के अन्तर्गत आने वाले सभी रास्तों का रख रखाव किया जायेगा तथा यह भी आस्वस्त किया जाता है कि खनन कार्य खनन योजना के अनुरूप ही किया जायेगा। खनन कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त गढ्ढों को मिट्टी के अधिभार से बंद किया जायेगा तथा खनन कार्य गॉव वालो की सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। रोजगार में प्राथमिकता गॉव वालों को ही दी जायेगी।

तद्पश्चात अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी, द्वारा पुनः लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में दिये जाने को कहा गया है तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डा0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(पंचाराम चौहान)
अपर जिलाधिकारी
पिथौरागढ़।

श्री हरीश चन्द्र जोशी, ग्राम - पुखरौड़ा, तहसील - डीडीहाट, जनपद - पिथौरागढ़ में सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल - 8.30 है०) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण -

दिनांक - 16 दिसम्बर / 2022

सुनवाई स्थल - ग्राम - पुखरौड़ा, पिथौरागढ़

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री किंचा राम चौहान	अपरजिलाधिकारी, पिथौरागढ़	[signature]
2.	डा० डी० के० जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी (उ०प्र०नि० बोर्ड) हल्द्वानी	[signature]
3.	सी०वी० जोशी	अनुप्रवण सहा०	[signature]
4.	श्री अजय कुमार शर्मा	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
5.	उनान सिंह नेगी	पुखरोड़ा	[signature]
6.	गोविन्द सिंह	लमतड़ी	[signature]
7.	ललित सिंह	चौपाता	[signature]
8.	गोपाल सिंह	पुखरोड़ा	[signature]
9.	विजय पाण्डेय	चौपाता	[signature]
10.	पुष्पा मेहेली	रा० उ० नि० विसौनाखान	[signature]
11.	बिपिन कापड़ी	रा० उ० नि० डेवलपल	[signature]
12	[illegible]	PRD	[signature]
13.	दीपक सिंह	पुखरोड़ा	[signature]
14.	[illegible] हिमांशु	"	[signature]
15.	[illegible]	पुखरोड़ा	[signature]
16.	[illegible]	पु "	[signature]
17.	गंगा नेगी		गंगा नेगी
18.	बसन्ती मण्डरी	बसन्ती मण्डरी	बसन्ती
19.	भागरती		देवी
20	शान्ती देवी		शान्ती
21	Govindi		Govindi
22	लीला देवी		लीला देवी
23	राजेन्द्र सिंह		राजेन्द्र सिंह

"Words which do not give the light of Christ increase the darkness."—Mother Teresa

Scanned with CamScanner

Page No.: _____

Date ___/___/_____

क्र/सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
24.	ਮਨੀਂਦ ਸਾਮ-ਤ		Munish
25.	ਰਘੁਵੀਰ ਸਾਮ-ਤ		[illegible]
26.	ਮਗਵਾਨ ਸਿੰਦ		[illegible]
27.	ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਦ		[illegible]
28.	कुण्डल सिंह		[illegible]
29	महेन्द्र सिंह		[illegible]

Scanned with CamScanner